न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 03/2021

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–अणदाराम पुत्र मघाराम लोहार, निवासी ग्राम विशनावास तहसील लोहावट जिला जोधपुर संचालक मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य दूकान ग्राम लोहावट विश्नावास (एफ पी एस कोड 23333) तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1–जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर।

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के क्लॉज 22 तथा लोक वितरण प्रणाली (नियंत्रक) आदेश, 2021 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.08.2021 जो विभागीय प्रकरण सं0 02/2021 सरकार बनाम मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य दूकान में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– **दिनांक 16.05.2022**

1– श्री अशोक विश्नोई अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)

2– श्री विभागीय पेरोकार अनुपस्थित (प्रत्यर्थीपक्ष)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है जेला रसद अधिकारी, द्वितीय जोधपुर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शिव स्थाना, के जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.06.2020 को मौके पर जांच कर व प्रतिवेदन तैयार कर मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य दुकान,(एफ पी एस कोड–23333) ग्राम लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट के विरूद्ध प्रकरण सं0 12/2020 दर्ज कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पूर्व आदेश दिनांक

19.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के आदेश दिनांक 19.11.2020 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया गया। जिला रसद अधिकारी जोधपुर (ग्रामीण) जोधपुर पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 27.08.2021 को निस्तारित करते हुए अप्रार्थीपक्ष/अपीलार्थी द्वारा 8663.75 किग्रा गेहूँ व चना/दाल 1023 किग्रा की बाजार भाव से वसूली कर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 15.02.2022 को अपीलार्थीपक्ष की गुणावगुण बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रस्तुत प्रकरण पूर्व में अपीलार्थी/अप्रार्थीपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को विस्तृत जबाब प्रस्तुत किया गया तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा जबाब/स्पष्टीकरण, दस्तावेज व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किये बिना, द्वेषभावना व राजनैतिक दबाव के कारण दिनांक 27.08.2021 को मनमाना व विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया। बहस में आगे कहा कि इस न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण का निस्तारण एक माह में नहीं किया गया। कोराना काल में राज्य सरकार से जारी आदेशों व निर्देशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक राशनकार्डधारी को 03 किग्रा दाल का वितरण किया गया जिसका रिकॉर्ड जबाब के साथ पेश किया गया। जांच के दौरान मौके पर 188.17 क्विंटल गेहूँ कम पाया जाना बताया गया उसका कारण वर्ष 2016–17, 2017–2018 में विभाग द्वारा पोश मशीन में गलत इन्द्राज कर दिया गया तथा पोश मशीन में गलत इन्द्राज करने की शिकायत की गई परन्तु विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। बहस में यह भी कहा कि वर्ष 2017 से गेहूँ का आवंटन व वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017 से किसी प्रकार का के.वी.एस.एस. फलोदी द्वारा अपीलार्थी को गेहूँ का आवंटन/वितरण नहीं किया गया। वर्ष 2020 में भी अपीलार्थी के विरूद्ध दर्शाइ गई जो कि पूर्ण रूप से गलत व विधि विरूद्ध है।

बहस में आगे कहा कि अपीलार्थी को दिनांक 30.05.2017 को 133 क्विंटल गेहूँ, दिनांक 30.06.2017 को 100.34 किग्रा गेहूँ वितरण हुआ जो कमशः माह जून 2017 व जुलाई 2017 के लिए प्राप्त हुए जबकि पोश मशीन में उक्त गेहूँ का इन्द्राज माह मई व जून 2017 में किया जाना बताया गया। पोश मशीनों में गलतियां होने का इन्द्राज सही करने हेतु कई लोगों ने मिलकर शिकायत की और कई उचित मूल्य की दुकानों की त्रुटियां सही भी की गई, अपीलार्थी की पोश मशीन अंकित गलत इन्द्राज को जानबूझकर सही नहीं किया गया। बहस के अन्त में अपीलाधीन आदेश निरस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 19.11.2020 को अपास्त करते हुए इस प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई के दौरान अपीलार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 15.03.2021 को जबाब प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शिवानी अस्थाना से टिप्पणी प्राप्त की गई। उक्त प्रवर्तन अधिकारी की टिप्पणी से असंतुष्ट होते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थीपक्ष की ओर से किसी अन्य प्रवर्तन अधिकारी से जांच कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 को जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांक 758 दिनांक 12.07.2021 को तीन सदस्य संयुक्त जांच टीम का गठन कर विस्तृत जांच करने के आदेश दिये गये। उक्त तीन सदस्य संयुक्त जांच टीम ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी मैसर्स अणदाराम (23333) उ0 मू0 दू0 को गेहूं आवंटन माह सितम्बर 2016 से 13.12.2020 तक 472863.75 किग्रा (जिसमें 9/2016 से 4/2017 तक केवीएसएस फलोदी द्वारा 81759 किग्रा व मई 2017 से 13.12.2020 तक नागरिक आपूर्ति विभाग जोधपुर द्वारा 391104.75 किग्रा) गेहूं आपूर्ति हुई तथा पोश मशीन से सितम्बर 2016 से 13.12.20 तक ऑनलाईन पोर्टल अनुसार 441879 किग्रा गेहूँ का वितरण किया गया एवं अवशेष स्टॉक 30954.75 किग्रा होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था दूकानदार (जी.एस.एस फलोदी) को 22500 किग्रा गेहूँ ही सुपुर्द किया गया अर्थात् 8484.75 किग्रा गेहूँ हस्तान्तरित कम हुआ। इसी प्रकार उक्त दूकानदार द्वारा पीएमजीकेएवाई अन्तर्गत चना अप्रेल 2020 से नवम्बर 2020 की कुल आपूर्ति एससीएम पोर्टल अनुसार 3147 किग्रा की गई तथा इस अवधि में पोश मशीन द्वारा 2223 किग्रा वितरण किया करने पर अवशेष 914 किग्रा दाल का हस्तान्तरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीपक्ष द्वारा पास के अन्य वैकल्पिक व्यवस्था दूकान (23314 रिक्त फतेहसागर) का संचालन दिनांक 25.112019 से 29.12.2020 तक किया गया, इस अवधि के दौरान एससीएस पोर्टल अनुसार [illegible] एनएफएसए के तहत 155884 किग्रा गेहूँ की आपूर्ति हुई [illegible] 15915[illegible] किग्रा गेहूँ वितरण किया गया तथा पीएमजीकेएवाई का गेहूँ [illegible]2910 किग्रा आपूर्ति के विरूद्ध 85961 किग्रा पोश मशीन द्वारा वितरण किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा इस रिक्त दूकान (23314) शेष 6949 किग्रा गेहूँ में से 6750 किग्रा मैसर्स भगवानराम (10363) को सुपुर्द किया गया, इस प्रकार 199 किग्रा गेहूँ कम हस्तान्तरण किया गया तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था दूकान (23314 रिक्त फतहसागर) को पीएमजीकेएवाई अन्तर्गत चना की अप्रेल 2020 से नवम्बर 2020 की कुल आपूर्ति एससीएम पोर्टल अनुसार 3552 किग्रा की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

तथा इस अवधि में पोश मशीन द्वारा 2893 किग्रा वितरण किया करने के पश्चात् 560 किग्रा चना/दाल मैसर्स भगवानाराम को वक्त सुपर्दुगी हस्तान्तरित किया गया तथा अवशेष 109 किग्रा दाल का हस्तान्तरण नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थीपक्ष के विरूद्ध कुल 8683.75 किग्रा गेहूँ व 1023 किग्रा चना/दाल का दुरूपयोग/अहस्तान्रण करने से बाजार भाव से राशि वसूल करने व अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के आदेश दिया गया।

अपीलार्थी का अपील में मुख्य कथन है कि प्रत्येक राशन कार्डधारी को 03 किग्रा दाल का वितरण किया गया। पोश मशीन में दिनांक 30.05.2017 को 133.00 क्विंटल गेहूँ आपूर्ति माह मई एवं दिनांक 30.06.2017 को आपूर्ति 100.34 क्विंटल गेहूँ माह जून 2017 की दर्शायी गई वो वस्तुत उक्त 133.00 क्विंटल गेहूँ माह जून एवं 100.34 क्विंटल गेहूँ माह जुलाई 2017 अवधि का है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप बाबत् मूल पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात के अनुसार सत्यता की जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि फलोदी कय विकय सहकारी समिति लि. फलोदी के पत्रांक / कविससफ/2020–21/298 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार वितरण माह अप्रेल 2017 का गेहूँ बिल सं0 8285 दिनांक 07.04.2017 को 132.07 क्वि. आपूर्ति हुई तथा राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जोधपुर से प्राप्त पत्र कमांकः राराखानाआनि / खाद्यान/2020–21/1538 दिनांक 21.12.2020 के संलग्न रिपोर्ट व चालान की प्रतियां का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीपक्ष को जरिये चालान सं0 1338 दिनांक 30.05.2017 को माह मई 2017 के लिए 13300.00 किग्रा व चालान सं0 1549 दिनांक 30.06.2017 को माह जून 2017 के लिए 10034.00 किग्रा गेहूँ की आपूर्ति की गई तथा अपीलार्थीपक्ष के प्राप्ति के हस्ताक्षर भी किये हुए है अतः अपीलार्थीपक्ष को माह मई 2017 व जून 2017 का गेहूँ प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीपक्ष का अन्य कथन/आक्षेप यह भी है कि वर्ष 2017 से गेहूँ का आवंटन व वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है तथा वर्ष 2017 से अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का के.वी.एस.एस. फलोदी द्वारा अपीलार्थी को गेहूँ का कोई वितरण व आवंटन नहीं किया गया, परन्तु पत्र दिनांक 05.08.2020 के अनुसार 2020 मे भी अपीलार्थी को गेहूँ देना दर्शाया गया, इस बाबत् जांच करने के लिए मूल अभिलेख का अध्ययन करने से भी स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी/अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता के समक्ष प्रस्तुत जबाब दिनांक 15.03.2021 पर विभागीय प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी ली गई तथा प्रवर्तन अधिकारी की तथ्यात्मक टिप्पणी दिनांक 21.04.2021 के संलग्न दस्तावेज की फोटो प्रतियां (गेहूँ के स्टॉक की गणना माह सितम्बर 2016 से अप्रेल 2017 तक थोक विकेता फलोदी कय विकय सहकारी समिति लि0 तथा माह मई 2017 से 26.06.2020 तक थोक विकेता रा.रा.खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि0 जोधपुर) प्रस्तुत हुई, जिसका भी अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि गणना उक्त अवधि में वास्तविक आवक एवं ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के आधार पर की गई है। अपीलार्थी ने फलोदी के.वी.एस.एस. के पत्रांक 152 दिनांक 05.08.2020 में वर्ष 2020 में दिनांक 06.02.20 को 52.89 क्विं, दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.02.24 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

07.03.2020 कों 100.34 क्वि., 10.03.2020 को 26.89 क्विं व 07.04.2020 को 132.07 क्विंटल गेहूँ आपूर्ति करना बताया गया। उक्त पत्र में डीलर मैसर्स अणदाराम को गेहूँ का वितरण माह सितम्बर 2016 से माह मई 2017 तक पेश करना लिखा गया है अतः हमारे विचार से पत्र में सहवन से वर्ष 2017 के स्थान पर 2020 अंकन हो गया है तथा उक्त कथित आपूर्ति बाबत् पोश मशीन में इन्द्राज होने का अपीलार्थी ने कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया। प्रवर्तन अधिकारी की टिप्पणी के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज में फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 से प्राप्त पत्रांक 298 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार वर्ष 2017 में जरिये बिल नं. 7922 दिनांक 06.02.2017 को 52.89 क्विं, बिल नं. 8108 दिनांक 07.03.2017 कों 100.34 क्वि., बिल नं. 8139 दिनांक 10.03.2017 को 26.89 क्विं व बिल नं. 8255 दिनांक 07.04.2017 को 132.07 क्विंटल गेहूँ की आपूर्ति की गई जिसकी पुष्टि संलग्न उपरोक्त बिलों की प्रस्तुत फोटो प्रतियां से भी होती है। अर्थात् अपीलार्थीपक्ष को उक्त गेहूँ की आपूर्ति 2020 को न होकर वर्ष 2017 में हुई है तथा पोश मशीन में इसका इन्द्राज भी नहीं हुआ है अतःअपीलार्थीपक्ष का उक्त कथन/आक्षेप अपील स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये वो सारहीन है अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested